

मुं 5/2016

3-5-17 पत्रावली पेश हुई। प्रकरणको राजस्व लोक अदालत में रखते हेतु केम्प दिनांक 19-5-17 को पक्षकारों को कक्षा में बुलाते हेतु नोटिस जारी है। पत्रावली दिनांक 19-5-17 को केम्प स्थल पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेखाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

19-5-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में वादी द्वारा सूचीबद्ध से वाद विद्वो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, वादी द्वारा कहा गया की वादी उतरेवादी में आपसी समझौता हो गया है, तथा वादी आगे वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता, वाद विद्वो करना चाहता है। वादी का वाद विद्वो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। पत्रावली दफतर वाञ्छित है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेखाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)